103

गृह (पुलिस) विभाग

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 1975.

क्र. 2951-4300-दो-ब (2).—श्री ब्रह्म देव सिंह को, लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा पर पुलिस उप अधीक्षक नियुक्त किया जाता है तथा आगामी आदेश तक पुलिस ट्रेनिंग कालेज, सागर में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिश्चन्द्र, विशेष सचिव.

पृथक् आगम विभाग

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 1975.

क्र. 4217-पांच-पृ. प्र.-75.—मध्यप्रदेश एण्टरटेनमेन्ट्स ड्यूटी एण्ड एडवरटाइजमेन्ट्स टैक्स एक्ट, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा तारीख 2 अक्टूबर, सन् 1975 को मध्यप्रदेश के समस्त सिनेमा गृहों में चलचित्रों (सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स) के प्रदर्शन को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रवर्तन से छूट देता है जहां कि किसी मनोरंजन का मालिक कलेक्टर को इस आशय का लिखित में परिवचन दे कि ऐसे प्रदर्शन के सकल उपार्जन का अभिदाय प्रधान मंत्री राहत कोष तथा मुख्य मंत्री राहत कोष हेतु किया जायगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एन. कौल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 1975.

क्र. 4219-4-पांच-पृ. प्रा—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 4217-पृ. प्रा. दिनांक 30 सितम्बर 1975 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एन. कौल, उप सचिव.

Bhopal, the 30th September 1975.

No. 4217-6774-V-SR-75.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Madhya Pradesh Entertainments Duty and Advertisements Tax Act, 1936 (No. XXX of 1936), the State Government hereby exempts the exhibition of all cinematograph films on the 2nd October, 1975 in all the cinema houses in Madhya Pradesh from the operation of sub-section (1) of section 3 of the said Act where a proprietor of an entertainment gives an undertaking in writing to the Collector to the effect that the gross earnings from such exhibition shall be contributed towards the Prime Minister's Relief Fund and the Chief Minister's Relief Fund.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. N. KAUL, Dy. Secy.

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 1975.

क्र. 14-5-75-वन-2-दस.—वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट 1972 (क्र. 53 सन् 1972) की धारा 18 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट के दर्शाये गये क्षेत्र को वन पक्षी तथा पशु के लिये दुबरी अभयारण्य घोषित करता है.

परिशिष्ट

जिला	सीधी
तहसील परिक्षेत्र का नाम	मझौली, मडवास, पोंडी
वन मण्डल का नाम	पश्चिम सीधी
अभयारण्य का नाम	दुबरी
क्षेत्र का रकबा	30,948.00 हेक्टर्स 309.480 वर्ग कि. मी.

सीमा

1. उत्तर—बनास नदी एवं झिरिहा नाला के मिलान से आरक्षित नाला होते हुए बडकाडील पेच लाइन पिलर नं. 9 तक फिर बडकाडील पेच लाइन पिलर नं. 9 से उत्तर की ओर पिलर नं. 1 तक जहां पर मझौली बडकाडील वन मार्ग मिलती है तक फिर मझौली वन बडकाडील वन मार्ग होते हुए आरक्षित वन खण्ड मडवास पिलर नं. 91 तक के दक्षिण तक फिर आरक्षित वन पिलर नं. 91 के दक्षिण से आरक्षित लाइन होते हुए मझौली पोंडी वस्तुआ वन मार्ग तक.

2. पूर्व—मझौली पोंडी वस्तुआ वन मार्ग आरक्षित वन खण्ड पिलर नं. 300 तक पिलर नं. 300 से मझौली पोंडी वस्तुआ (पोंडी कोटा कुन्दौर) वन मार्ग होते हुए आरक्षित वन पिलर नं. 135 एवं 136 के मध्य तक तथा 135 एवं 136 के मध्य से आरक्षित वन खण्ड सीमा लाइन होते हुए पिलर नं. 223 अर्थात् मवई नदी तक.

3. दक्षिण.—मवई नदी से बनास नदी के मिलान तक.

4. पश्चिम.—मवई एवं बनास नदी के मिलान से बनास नदी होते हुए झिरिहा नाला के मिलान तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
र. च. सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 1975.

क्र. 14-5-75-वन 2-दस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 14-5-75-वन-2-दस, दिनांक 30 अगस्त 1975 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
र. च. सक्सेना, उपसचिव

Bhopal, the 30th August 19[illegible]

[illegible] 115-75 Forest-X-2. In exercise of the powers conferred under section 18(i) of the Wild Life (Protection) Act. 1972 (No. 53 of 1972), the Madhya Pradesh State Government hereby declare the land specified in Schedule below as "Dubari Game Sanctuary" for the birds and animal in the said sanctuary.

Schedule

Name of District	..	Sidhi.
Name of Range	..	Majhauli, Madwa Pondi.
Name of Division	..	West Sidhi
Name of Sanctuary	..	Dubari.
Area	..	30,948.00 Hectars. 309.480 Sq. K.M.

Details of Boundary

North—From junction of Banas River and Jhirha Nala being Jhirha Nala up to Barkadal Patch line Piller No. 9 then Patch line Piller No. 9 up to Piller No. 1 where meet Majhauli-Barkadol Forest Road up to south of Reserve Forest Madwas line Pillor No. 91, then being Reserve Forest Piller No. 91 up to Majhauli-Pondi-Bastua Forest Road.

East—Majhauli-Pondi-Bastua Forest Road up to Reserve Forest Madwas Piller No. 300 and then Pillar No. 300 being Pondi-Kota-Kundaur Forest Road up to middle of Reserve Forest line Piller No. 135 and 136, then being middle of Reserve Forest Pillor No. 223 (Mawai River).

South—Mawai River up to meeting of Banas River.

West—From junction of Mawai and Banas River being Banas river its flowing towards up to meeting of Jhirha Nala.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. C. SAXENA, Dy. Secy.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 1975.

क्र. 11124-5958-ग्यारह-अ.—श्री [illegible] महन्त, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग पर्षद, भोपाल द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र दिनांक 30 सितम्बर 1975 के अपराह्न से राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किया जाता है.

[illegible]

क्र. 11125-5958-ग्यारह-अ.—मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम, 1959 (क्रमांक 2 सन् 1960) की धारा 5 की उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत राज्य शासन [illegible] [illegible] तरजी मशरिकी, विधायक, गिरोंज [illegible], जिला विदिशा, मध्यप्रदेश, को श्री [illegible] महन्त, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग [illegible] भोपाल द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त [illegible] [illegible] 1 अक्टूबर 1975 से [illegible] नियुक्त [illegible].

[illegible] 5958-ग्यारह [illegible] अधिनियम [illegible] (क्रमांक 2 सन् 1960) [illegible] (2) [illegible] [illegible] शक्तियों का प्रयोग [illegible] [illegible] [illegible] तरजी [illegible] [illegible] जिला [illegible] का [illegible] [illegible] नियुक्त [illegible] है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. [illegible],

खनिज साधन विभाग

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 1976.

क्र. 19-10-75-बारह.—सर्वसाधारण की [illegible] किया जाता है कि जिला [illegible] के लेटिट्यूड 18° 35' से 18° 51' तथा लांगीट्यूड 81° 45' से 82° तक के अन्तर्गत [illegible] लेपीडोलाईट, कैसिटेराइट तथा अन्य टिन खनिज [illegible], क्वार्टज, फेल्स-पार खनिजों के विभागीय पूर्वेक्षण कार्य के लिये सुरक्षित किया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
[illegible] डाल, [illegible].

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 1975.

क्र. 1602-तेईस-सा. सा.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग [illegible] सीधी भर्ती के लिये चयन किये गये उम्मीदवार श्री [illegible] कुमार दीक्षित को इस विभाग के आदेश क्र. 695-सा. सा., दिनांक [illegible] 1975 द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय में द्वितीय श्रेणी सांख्यिक के पद पर की गई नियुक्ति (उनके द्वारा कार्य ग्रहण न करने के कारण) निरस्त की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
[illegible], [illegible]

आदिम जाति एवं हरिजन कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 1975.

क्र. एफ. [illegible]-285-73-1-पच्चीस.—श्री के. [illegible] मिश्रा, [illegible] अधिकारी, ऋण निवारण न्यायालय, छिन्दवाड़ा, की सेवायें [illegible] प्रशासन विभाग को लौटाई जाती हैं.

क्र. एफ. [illegible]-285-1-73-1-पच्चीस.—श्री आर. डी. [illegible] [illegible] अधिकारी, ऋण निवारण न्यायालय, [illegible], को [illegible] में [illegible] स्थानांतर किया जाता है.

[illegible] प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदे[illegible]
[illegible]

राज्य शासन के आदेश

श्रम विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 1978

क्र. 4162-6308-सोलह.--एम्प्लाईज स्टेट इन्श्योरेन्स एक्ट, 1948 (क्रमांक 34, सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन उक्त विधान के सभी प्रावधानों से [redacted] कॉफी वर्कर्स को-ऑपरेटिव्ह सोसाइटी, लि., ग्वालियर, जबलपुर व भोपाल को दिनांक 1 अप्रैल 1978 से 31 जुलाई 1978 तक [illegible] देता है.

No. 4162-6308-XVI.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees State Insurance Act, 1948 (XXXIV of 1948) the State Government hereby exempts Indian Coffee Workers Co-operative Society, [illegible], Gwalior, Jabalpur and Bhopal from the [redacted] all the provisions of the said Act with effect from 1st April 1978 to 31st July 1978.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. अग्रवाल, उप-सचिव.

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 1978

क्र. 14-5-75-दस (2).--मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्र. 14 मई 75 वन दस, दिनांक 30 अगस्त 1975 के परिशिष्ट में दुबरी अभयारण्य सीधी वन-मंडल के क्षेत्र का रकबा 309-480 वर्ग कि. मी. के स्थान पर 364-593 वर्ग कि. मी. पढ़ा जाये.

क्र. 14-5-75-दस (2).--भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना 14-5-75-(2), दि. 15 जुलाई 1978 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के अधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

Bhopal, the 15th July 1978

No. [redacted]-5-77-X-(2).—In the schedule of Government of Madhya Pradesh, Forest Department Notification No. 14-5-75 Forest X-2, dated the 30th August 75 the area in respect of Dubri Sanctuary, Sidhi [redacted] may be read 364.593 Sq. Km. instead of 309.480 Km.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
M. J. OAK.
Dy. Secy.

पंजीयन विभाग

[illegible], दिनांक 16 जुलाई 1978

क्र. 510-1183-छ-नं-77.--पंजीयन अधिनियम, 1908 (क्र. 16, सन् 1908) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग [illegible]

क्र. 512-1183-छ-नं.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 510-1183-छ-नं., दिनांक 18 जुलाई 1978 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

No. 510-1183-VI-R-77.—In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) the State Government hereby [illegible] the Stamp duty chargeable on the sale deed executed for transfer of Sanawad Spinning Mill from Madhya Pradesh Rajya Udyog Nigam to M. P. Rajya Vastra Nigam and publishes the same as required by section 79 of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
N. V. KRISHNAN,
Secy.

श्रम विभाग

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 1977

क्र. 7342-10587-16.--मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल रिलेशन्स एक्ट, 1960 (27, सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि रीवा के स्थानीय क्षेत्र के समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम, डिपो रीवा और मध्यप्रदेश परिवहन कर्मचारी संघ, रीवा के बीच औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित कुछ औद्योगिक विषयों के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो सकता है:--

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 5/77.

No. 7342-10587-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (27 of 1960), the State Government hereby notified that no-settlement was arrived at in the Industrial dispute between M. P. State Road Transport Corporation, Rewa and M. P. State Road Transport Karmachari Sangh, Rewa in regard to some of the industrial matters included therein and specified in the schedule below, referred to the conciliator for the local area of Rewa :--

SCHEDULE

Industrial Dispute No. 5/77.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 1977

क्र. 4 (ई)-44-76-श्रम-16.--चूंकि राज्य शासन का यह समाधान है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा भोपाल की नगरीय दुग्ध प्रदाय योजना को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14, सन् 1947) [illegible]